NPV.
पृ.क्रं.- 215
पिछला | अगला

ef(NPV)
81/170

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय (वल्लभ भवन) भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2008

आदेश

आदेश क्र./एफ–5/16/2000/10–3: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 8–9–2005 के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत शासन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध कराई जा रही वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वेल्यू वसूल करने के संबंध में आदेश जारी किये गये है। राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 12–12–2005 तथा 19–1–2006 के द्वारा कतिपय गतिविधियों को नेट प्रेजेन्ट वेल्यू के भुगतान को इस शर्त के साथ मुक्त किया गया था कि यदि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन आदेशों में उल्लेखित गतिविधियों को नेट प्रेजेन्ट वेल्यू से मुक्त नहीं किया गया तो उन आवेदकों द्वारा नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की पूर्ण राशि एकमुश्त जमा की जायेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 28–3–2008 तथा दिनांक 9–5–2008 के परिप्रेक्ष्य में इस वि[illegible] द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 8–9–2005, 12–12–2005 तथा 19–1–2006 को अधिक्रमित करते हुए, वनों के ईको वैल्यू श्रेणी (वनों का प्रकार व घनत्व के आधार पर) अनुसार व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) की राशि का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:–

अनु0	वनों की ईको वैल्यू श्रेणी	वनों का घनत्व	नेट प्रजेन्ट वैल्यू प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)
1	I (Tropical Moist Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम)	10.43 9.39 7.30
	III (Tropical Dry Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्रा (0.4 या कम)	8.87 8.03 6.26
	IV (Tropical Thorn Forests) ऊष्ण कटिबंधीय कटीले वन	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्रा (0.4 या कम)	6.26 5.63 4.38
	V (Sub-Tropical Broad leaved Hill Forest) उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्रा (0.4 या कम)	9.39 8.45 6.57

टीप:– मुख्यतः राज्य में ईको क्लास के अन्तर्गत ईको क्लास I (Tropical Moist Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, III (Tropical Dry Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, IV (Tropical Trom Forests) ऊष्ण कटिबंधीय कटीले वन, V (Sub-Tropical Broad leaved Hill Forest) उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाते हैं।

279
18-9-08

12/9/08

निर्देशित किया जाता है कि कार्य आयोजना का अवलोकन कर क्षे.. विशेष में पाए जाने वाले वन प्रकार का निर्धारण कर एन.पी.व्ही. का विनिश्चय सावधानीपूर्वक करना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रतन पुरवार)
सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ. क्र./एफ–5/16/2000/10–3

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2008.

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/खनिज साधन विभाग/ऊर्जा विभाग/राजस्व विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/ लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त वन मंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग